झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–472 वर्ष 2017

श्रीमती शैल कुमारी हेम्ब्रम, पत्नी–श्री शिव चरण मरांडी

.... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।

2. सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।

3. निदेशक, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार।

4. प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना डिवीजन, दुमका।

5. उपायुक्त, गोड्डा।

6. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोड्डा।

7. बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोड्डा ग्रामीण, गोड्डा।

8. बाल विकास परियोजना अधिकारी, ठाकुर गंगटी, गोड्डा।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री एम0एम0 शर्मा, अधिवक्ता

राज्य के लिएः– श्री शादाब बिन हक, जी0पी0–I का जे0सी0

6 / 09.08.2017 पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना, दुमका द्वारा पारित दिनांक 30.06.2016 के स्थानांतरण आदेश को चुनौती दी है, साथ ही बाल विकास परियोजना अधिकारी, गोड्डा ग्रामीण द्वारा पारित 19.01.2017 के कार्यभार मुक्त आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को गोड्डा ग्रामीण से मस्लिया, दुमका स्थानांतरित कर दिया गया है।

3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे शुरू में वर्ष 1984 में मुख्य सेवक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह 14.06.1984 को सी0डी0पी0ओ0, संथाल परगना, दुमका के कार्यालय में बोरीजोर में शामिल हुई। इसके बाद, याचिकाकर्ता को जिला गोड्डा ग्रामीण में कई स्थानों पर महिला पर्यवेक्षक का प्रभार पर तैनात किया गया था। दिनांक 29. 06.2016 को याचिकाकर्ता को सी0डी0पी0ओ0, ठाकुर गंगट, गोड्डा का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। इसके बाद दिनांक 09.07.2016 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से सी0डी0पी0ओ0 (प्रभारी) ठाकुर गंगटी के रूप में योगदान करने का निर्देश दिया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता दिनांक 11.07.2016 को सी0डी0पी0ओ0 ठाकुर गंगटी के रूप में योगदान दिए। तत्पश्चात फिर से दिनांक 30.06.2016 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता के साथ–साथ समान रूप से पदस्थापित कर्मचारियों को प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना, दुमका के आदेश पर गोड्डा ग्रामीण से स्थानांतरित कर दिया गया है, हालांकि एक दिन पहले उन्हें सी0डी0पी0ओ0, ठाकुर गंगटी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। हालांकि यायचिकाकर्ता को मस्लिया में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन उनके यायेगदान देने के संबंध में कोई कार्यभार मुक्त का आदेश नहीं था और इस तरह से याचिकाकर्ता महिला पर्यवेक्षिका के

साथ–साथ प्रभारी सी0डी0पी0ओ0 के रूप में क्रमशः गोड्डा ग्रामीण और ठाकुर गंगटी में काम करते रही। आगे यह भी कहा गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत होना है, फिर भी उसे दिनांक 30.06.2017 के स्थानांतरण आदेश के बाद दिनांक 19.01.2016 को कार्यमुक्ति आदेश जारी करके परेशान किया गया है। याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं के समक्ष कई अभ्यावेदन किए, जिसमें संकल्प सं0 सी0एस0–3/एम 3–1016/80–3918, दिनांक 25.10.1980 संलग्न है जो बिहार राजपत्र सं0 1043, दिनांक 29. 10.1980 में प्रकाशित हुआ और उसमें मामले पर सहानुभूति रखने का अनुरोध किया। हालांकि, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर काई आदेश पारित नहीं किया गया है और इस तरह, उसने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

4. श्री एम0एम0 शर्मा, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि स्थानांतरण और कार्यमुक्ति का आक्षेपित आदेश दुर्भावनापूर्ण इरादे से पारित किया गया है। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करते हैं कि उत्तरदाताओं को पता है कि याचिकाकर्ता को दिनांक 31.12.2017 को सेवानिवृत्त होना है और सेवानिवृत्ति के कगार पर के कर्मचारियों के स्थानांतरण के संबंध में संकल्प सं0 सी0एस0–3/एम0–1016/80–3918, दिनांक 25.10.1980 द्वारा जारी किए गए विशिष्ट दिशानिर्देश हैं, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया है। यहां तक कि याचिकाकर्ता के चिकित्सा आधारों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है और अनावश्यक रूप से उसे उसकी सेवा के अंतिम समय में परेशान किया गया है। श्री एम0एम0 शर्मा ने आगे तर्क दिया कि इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता दिसम्बर के महीने में सेवानिवृत होने जा रहा है, उनके माममले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए और राज्य सरकार

द्वारा जारी दिशानिर्देशों को विशेष रूप से खण्ड–3 तत्संबंधी को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित किया जाना चाहिए।

5. समानांतर स्तम्भ में, उत्तरदाताओं द्वारा काउंटर हलफनामा दायर किया गया है। श्री शादाब बिन हक, विद्वान जी0पी0–I के जे0सी0 ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि यह एक श्रृंखला हस्तांतरण है और याचिकाकर्ता को नियमानुसार स्थानांतरित किया गया है। याचिकाकर्ता पहले ही चार साल से अधिक समय से उस स्थान पर काम कर चुका है और एक कर्मचारी अनिश्चित काल के लिए अपनी पसंद के किसी एक जगह पर काम नहीं कर सकता है। स्थानांतरण के आदेश में कोई अवैधता नहीं है और यह केवल इस न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण था ि कवह पिछले सात महीनों से अपने स्थानांतरित स्थान में योगदान नहीं दी है।

6. जो भी हो, पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुती से गुजरने के बाद, यह न्यायालय का विचार है कि स्थानांतरण, सेवा का हिस्सा है। यहां तक कि अगर कोई कर्मचारी सेवा के अपने अंतिम छोर पर है, तो भी वे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं और वरिष्ठों द्वारा पारित आदेश की अवज्ञा नहीं कर सकते हैं। हालांकि स्थानांतरण आदेशों के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश हैं, लेकिन उस पर अपने कर्मचारियों को सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण रखते हुए विचार करना होगा। तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता दिसम्बर, 2017 के महीने में सेवानिवृत होने जा रहा है। उसी के संबंध में उसका अभ्यावेदन पहले से ही उत्तरदाताओं के अधिकारियों के समक्ष लम्बित है। चूंकि स्थानांतरण आदेश पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18. 07.2017 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई है, इसलिए मैं एतद्द्वारा प्रतिवादी सं0

4–प्रमण्डलीय आयुक्त, संथाल परगना डिवीजन, दुमका को निर्देश देता हूँ कि वे स्थानांतरण के लिए दिशा–निर्देशों विशेष रूप से क्लॉज–3 को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण के संबंध में उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लें, क्योंकि वह अपनी सेवा के अंतिम छोर पर है। इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने/उत्पादन की तारीख से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर अंतिम निर्णय लिया जाए और इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ता को सूचित किया जाए।

7. इस रिट याचिका को तद्नुसार उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ निपटाया जाता है।

((डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0)